रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2008/फाल्गुन 30, 1929
No. 131] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2008/PHALGUNA 30, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2008

सा.का.नि. 199(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 6 के साथ पठित धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2007 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी ।

2. धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2007 के नियम 3 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3 (क) वित्त और लेखाकर्म के क्षेत्र से सदस्य के लिए वह व्यक्ति नियुक्ति के लिए अर्हित होगा जो अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सेवा समूह 'क' का सदस्य है या रहा है और केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव का पद या उस सेवा में समतुल्य पद धारण किया है ।

(ख) ऐसे व्यक्तियों में से, चयन समिति चार्टर्ड लेखाकर्म की शैक्षणिक अर्हताओं या वित्त, अर्थशास्त्र या लेखाकर्म में उपाधि या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के वित्त या राजस्व विभाग में कम से कम दो वर्ष तक कार्य करने के कारण या किसी निगम के वित्त या लेखाखंड में उतनी ही अवधि के लिए भारसाधक रहने के कारण वित्त या लेखा में विशेष अनुभव को ध्यान में रखेगी ।"

[अधिसूचना सं. 6/2008/फा. सं. 6/21/2007-इ.एस.]

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 520(अ) तारीख 1 अगस्त, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2008

G.S.R. 199(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 73 read with Section 6 of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following amendments to the Prevention of Money-Laundering (Appointment and Conditions of Service of Chairperson and Members of Adjudicating Authorities) Rules, 2007, namely :—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-Laundering (Appointment and Conditions of Service of Chairperson and Members of Adjudicating Authorities) Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-Laundering (Appointment and Conditions of Service of Chairperson and Members of Adjudicating Authorities) Rules, 2007, in rule 3, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely :—

"(3)(a) For the Member from the field of finance or accountancy, a person shall be qualified for appointment if he is or has been a member of an All India Service or a Central Service Group 'A', and has held the post of a Joint Secretary to the Central Government or an equivalent post in that service.

(b) From among such persons, the Selection Committee shall have due regard to the academic qualifications of chartered accountancy or a degree in finance, economics or accountancy or having special experience in finance or accounts by virtue of having worked for at least two years in the finance or revenue department of either the Central Government or a State Government or being incharge of the finance or accounting wing of a corporation for a like period."

[Notification No. 6/2008/F. No. 6/21/2007-E.S.]

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 520 (E) dated the 1st August, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.